

उत्तराखण्ड सरकार
निर्वाचन विभाग,
संख्या /XXV-09/2023
दिनांक: देहरादून : 8 जून, 2023

कार्यालय आदेश

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 के प्राविधानों के अन्तर्गत गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर शासन के पत्र संख्या-1/115324/2023 दिनांक 18 अप्रैल, 2023 एवं कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2 शासनादेश संख्या-1/120994/2023/XXX(2)E-33080 दिनांक 10 मई, 2023 के अनुपालन में स्थानान्तरण अधिनियम की सुसंगत धाराओं में निहित प्राविधानों के अनुसार निर्वाचन विभाग उत्तराखण्ड के अन्तर्गत निम्नलिखित जिला निर्वाचन कार्यालय में तालिका के स्तम्भ-2 में अंकित/कार्यरत वरिष्ठ सहायक को तात्कालिक प्रभाव से उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-3 से स्तम्भ-4 में अंकित जिला निर्वाचन कार्यालय में स्थानान्तरित करते हुए तैनात किया जाता है:-

क. स.	कार्मिक का नाम	वर्तमान तैनाती जनपद	स्थानान्तरण के फलस्वरूप नव तैनाती जनपद	अधिनियम की धारा
1	2	3	4	5
1.	श्री सुरेन्द्र सिंह	चमोली	हरिद्वार	अनुरोध के आधार पर धारा- 13(4) के अन्तर्गत

उक्तानुसार श्री सुरेन्द्र सिंह, वरिष्ठ सहायक कोई भी यात्रा भत्ता अनुमन्य नहीं होगा।

स्थानान्तरण अधिनियम की धारा-22 में निहित प्राविधानों के अनुसरण में सम्बन्धित जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वह उक्त कार्मिक को एक सप्ताह के अन्दर कार्यमुक्त करते हुए नव तैनाती जनपद में कार्यभार ग्रहण करने के आदेश निर्गत करना सुनिश्चित करें।

ह0/-
मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
उत्तराखण्ड।

पू0संख्या 861 /XXV-09/2023, तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, महालेखाकार भवन कौलागढ़ देहरादून।
2. जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी, चमोली एवं हरिद्वार।
3. वरिष्ठ/मुख्य कोषाधिकारी, चमोली एवं हरिद्वार।
4. उल्लिखित कार्मिक को, द्वारा सम्बन्धित जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी।
5. गार्ड फाईल।

(प्रताप सिंह शाह)
संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
उत्तराखण्ड।

उत्तराखण्ड सरकार
निर्वाचन विभाग,
संख्या/XXV-09/2023
दिनांक: देहरादून : 08 जून, 2023

कार्यालय आदेश

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 के प्राविधानों के अन्तर्गत गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर शासन के पत्र संख्या-1/115324/2023 दिनांक 18 अप्रैल, 2023 एवं कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2 शासनादेश संख्या-1/120994/2023/XXX(2)E-33080 दिनांक 10 मई, 2023 के अनुपालन में स्थानान्तरण अधिनियम की सुसंगत धाराओं में निहित प्राविधानों के अनुसार निर्वाचन विभाग उत्तराखण्ड के अन्तर्गत निम्नलिखित जिला निर्वाचन कार्यालय में तालिका के स्तम्भ-2 में अंकित/कार्यरत कनिष्ठ सहायक को तात्कालिक प्रभाव से उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-3 से स्तम्भ-4 में अंकित जिला निर्वाचन कार्यालय में स्थानान्तरित करते हुए तैनात किया जाता है:-

क. स.	कार्मिक का नाम	वर्तमान तैनाती जनपद	स्थानान्तरण के फलस्वरूप नव तैनाती जनपद	अधिनियम की धारा
1	2	3	4	5
1.	श्री नीरज साह	पिथौरागढ़	ऊधम सिंह नगर	अनुरोध के आधार पर धारा 13(4) के अन्तर्गत


उक्तानुसार श्री नीरज साह, कनिष्ठ सहायक कोई भी यात्रा भत्ता अनुमन्य नहीं होगा।
स्थानान्तरण अधिनियम की धारा-22 में निहित प्राविधानों के अनुसरण में सम्बन्धित जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वह उक्त कार्मिक को एक सप्ताह के अन्दर कार्यमुक्त करते हुए नव तैनाती जनपद में कार्यभार ग्रहण करने के आदेश निर्गत करना सुनिश्चित करें।

ह0/-
मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
उत्तराखण्ड।

पू0संख्या 862 /XXV-09/2023, तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, महालेखाकार भवन कौलागढ़ देहरादून।
2. जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी, पिथौरागढ़ एवं ऊधम सिंह नगर।
3. वरिष्ठ/मुख्य कोषाधिकारी, पिथौरागढ़ एवं ऊधम सिंह नगर।
4. उल्लिखित कार्मिक को, द्वारा सम्बन्धित जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी।
5. गार्ड फाईल।


(प्रताप सिंह शाह)
संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
उत्तराखण्ड।

उत्तराखण्ड सरकार
निर्वाचन विभाग,
संख्या /XXV-09 / 2023
दिनांक: देहरादून : 08 जून, 2023

कार्यालय आदेश

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 के प्राविधानों के अन्तर्गत गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर शासन के पत्र संख्या-1/115324/2023 दिनांक 18 अप्रैल, 2023 एवं कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2 शासनादेश संख्या-1/120994/2023/XXX(2)E-33080 दिनांक 10 मई, 2023 के अनुपालन में स्थानान्तरण अधिनियम की सुसंगत धाराओं में निहित प्राविधानों के अनुसार निर्वाचन विभाग उत्तराखण्ड के अन्तर्गत निम्नलिखित जिला निर्वाचन कार्यालयों में तालिका के स्तम्भ-2 में अंकित/कार्यरत सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी को तात्कालिक प्रभाव से उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-3 से स्तम्भ-4 में अंकित जिला निर्वाचन कार्यालय में स्थानान्तरित करते हुए तैनात किया जाता है:-

क. स.	अधिकारी का नाम	वर्तमान तैनाती जनपद	स्थानान्तरण के फलस्वरूप नव तैनाती जनपद	अधिनियम की धारा
1	2	3	4	5
1.	श्री प्रेम सिंह रावत	देहरादून	नैनीताल	अनिवार्य स्थानान्तरण धारा-7 के अन्तर्गत
2.	श्री प्रकाश चन्द्र त्रिपाठी	नैनीताल	देहरादून	अनिवार्य स्थानान्तरण धारा-7 के अन्तर्गत

स्थानान्तरण अधिनियम की धारा-22 में निहित प्राविधानों के अनुसरण में सम्बन्धित जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वह उक्त अधिकारियों को प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किए बिना एक सप्ताह के अन्दर कार्यमुक्त करते हुए नव तैनाती जनपद में कार्यभार ग्रहण करने के आदेश निर्गत करना सुनिश्चित करें।

ह0/-
मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
उत्तराखण्ड।

पू0संख्या 858 /XXV-09 / 2023, तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, महालेखाकार भवन कौलागढ़ देहरादून।
2. जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी, देहरादून एवं नैनीताल।
3. वरिष्ठ/मुख्य कोषाधिकारी, देहरादून एवं नैनीताल।
4. उल्लिखित अधिकारियों को, द्वारा सम्बन्धित जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी।
5. गार्ड फाईल।

3
(प्रताप/सिंह शाह)
संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
उत्तराखण्ड।

उत्तराखण्ड सरकार
निर्वाचन विभाग,
संख्या / XXV-09 / 2023
दिनांक: देहरादून : 08 जून, 2023

कार्यालय आदेश

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 के प्राविधानों के अन्तर्गत गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर शासन के पत्र संख्या-1/115324/2023 दिनांक 18 अप्रैल, 2023 एवं कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2 शासनादेश संख्या-1/120994/2023/XXX(2)E-33080 दिनांक 10 मई, 2023 के अनुपालन में स्थानान्तरण अधिनियम की सुसंगत धाराओं में निहित प्राविधानों के अनुसार निर्वाचन विभाग उत्तराखण्ड के अन्तर्गत निम्नलिखित जिला निर्वाचन कार्यालयों में तालिका के स्तम्भ-2 में अंकित/कार्यरत प्रशासनिक अधिकारी को तात्कालिक प्रभाव से उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-3 से स्तम्भ-4 में अंकित जिला निर्वाचन कार्यालय में स्थानान्तरित करते हुए तैनात किया जाता है:-

क. स.	कार्मिक का नाम	वर्तमान तैनाती जनपद	स्थानान्तरण के फलस्वरूप नव तैनाती जनपद	अधिनियम की धारा
1	2	3	4	5
1.	श्री मोहन सिंह कोरंगा	ऊधम सिंह नगर	पिथौरागढ़	धारा-7क के अन्तर्गत सुगम क्षेत्र से दुर्गम क्षेत्र में अनिवार्य स्थानान्तरण
2.	श्री संजय कुमार	पिथौरागढ़ (सम्बद्ध जि.नि.का. हरिद्वार)	ऊधम सिंह नगर	धारा-10क के अन्तर्गत दुर्गम क्षेत्र से सुगम क्षेत्र में अनिवार्य स्थानान्तरण


स्थानान्तरण अधिनियम की धारा-22 में निहित प्राविधानों के अनुसरण में सम्बन्धित जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वह उक्त कार्मिकों को प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किए बिना एक सप्ताह के अन्दर कार्यमुक्त करते हुए नव तैनाती जनपद में कार्यभार ग्रहण करने के आदेश निर्गत करना सुनिश्चित करें।

ह0/-
मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
उत्तराखण्ड।

पू0संख्या 859 / XXV-09 / 2023, तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, महालेखाकार भवन कौलागढ़ देहरादून।
2. जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी, हरिद्वार, पिथौरागढ़ एवं ऊधम सिंह नगर।
3. वरिष्ठ/मुख्य कोषाधिकारी, हरिद्वार, पिथौरागढ़ एवं ऊधम सिंह नगर।
4. उल्लिखित कार्मिकों को द्वारा सम्बन्धित जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी।
5. गार्ड फाईल।


(प्रताप सिंह शाह)
संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
उत्तराखण्ड।

उत्तराखण्ड सरकार
निर्वाचन विभाग,
संख्या/XXV-09/2023
दिनांक: देहरादून : ०४ जून, 2023

कार्यालय आदेश

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 के प्राविधानों के अन्तर्गत गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर शासन के पत्र संख्या-1/115324/2023 दिनांक 18 अप्रैल, 2023 एवं कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2 शासनादेश संख्या-1/120994/2023/XXX(2)E-33080 दिनांक 10 मई, 2023 के अनुपालन में स्थानान्तरण अधिनियम की सुसंगत धाराओं में निहित प्राविधानों के अनुसार निर्वाचन विभाग उत्तराखण्ड के अन्तर्गत निम्नलिखित जिला निर्वाचन कार्यालयों में तालिका के स्तम्भ-2 में अंकित/कार्यरत वरिष्ठ सहायक को तात्कालिक प्रभाव से उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-3 से स्तम्भ-4 में अंकित जिला निर्वाचन कार्यालय में स्थानान्तरित करते हुए तैनात किया जाता है:-

क. स.	कार्मिक का नाम	वर्तमान तैनाती जनपद	स्थानान्तरण के फलस्वरूप नव तैनाती जनपद	अधिनियम की धारा
1	2	3	4	5
1.	सुश्री योगिता थपलियाल	टिहरी गढ़वाल	उत्तरकाशी	धारा-7 क के अन्तर्गत सुगम क्षेत्र से दुर्गम क्षेत्र में अनिवार्य स्थानान्तरण
2.	सुश्री संगीता	रुद्रप्रयाग	हरिद्वार	धारा-10क के अन्तर्गत दुर्गम क्षेत्र से सुगम क्षेत्र में अनिवार्य स्थानान्तरण


स्थानान्तरण अधिनियम की धारा-22 में निहित प्राविधानों के अनुसरण में सम्बन्धित जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वह उक्त कार्मिकों को प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किए बिना एक सप्ताह के अन्दर कार्यमुक्त करते हुए नव तैनाती जनपद में कार्यभार ग्रहण करने के आदेश निर्गत करना सुनिश्चित करें।

ह०/-
मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
उत्तराखण्ड।

पृ०संख्या-860 /XXV-09/2023, तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, महालेखाकार भवन कौलागढ़ देहरादून।
2. जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी, टिहरी-गढ़वाल, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग एवं हरिद्वार।
3. वरिष्ठ/मुख्य कोषाधिकारी, टिहरी-गढ़वाल, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग एवं हरिद्वार।
4. उल्लिखित कार्मिकों को, द्वारा सम्बन्धित जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी।
5. गार्ड फाईल।


(प्रताप सिंह शाह)
संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
उत्तराखण्ड।